न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद सं0 682/21–22

अलदेव पाहन..विक्रेता

बनाम्

हिरामणी कुमारी..क्रेता

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
18.12.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक (विक्रेता) अलदेव पाहन के द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गवाही नहीं की गई है। साथ ही विक्रेता के द्वारा अवलोकन हेतु मूल कागजात भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक को पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी प्रश्नगत भूमि की विक्री करने में काई अभिरूचि नहीं ली गई। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा विक्रेता (आवेदक) के द्वारा वाद में कोई अभिरूचि नहीं लेने के कारण वाद की कार्रवाई ....समाप्त.... की जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।	

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.20 16:36:35 +05:30
Location: 192.168.1.103